राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –1632/2009/अजमेर

श्रीमती सुनीता एस.अग्रवाल धर्मपत्नी श्री सुनील अग्रवाल जाति अग्रवाल
निवासी–अग्रवाल धर्मकांटा,आदर्श नगर,अजमेर प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक मुद्रांक मसूदा वृत–अजमेर
2.श्री ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल
3.श्री राजकुमार गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल
निवासी–रामलीला नोहरा मार्ग,ब्यावर जिला अजमेर अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री वी.के.गर्ग
अभिभाषक ...प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या एक की ओर से
अप्रार्थी संख्या दो और तीन की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 30.08.2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 (जिसे आगे मंद्रांक अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 63/2006 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी हैं।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या दो ओर तीन ने अपने स्वामित्व के ग्राम पीपलाज तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नम्बर 1452/2/4/1, 1456/2/2/1 एवं 1450/4/1 जिनका कुल रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा 17 बिस्वांसी किस्म बारानी है, का विक्रय का इकरार प्रार्थीया को रू. 3,09,250/– में करके प्रश्नगत सम्पत्ति के दस्तावज को दिनांक 31.12.2004 को पंजीकृत करने हेतु उप पंजीयक मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किये। उप पंजीयक ने दस्तावेजों की जांच पडताल करने के पश्चात बाजार भाव पर मुदांक कर रू. 17,010/– व पंजीयन शुल्क रू. 3095/–कुल रू. 20,105/– जमा कराने पर प्रस्तुत दस्तावेजों का पंजीकृत करके प्रार्थीया को लौटा दिये। तत्पश्चात प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का औद्योगिक एवं आंशिक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु उप खण्ड अधिकारी,मसूदा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उप खण्ड अधिकारी,मसूदा ने दिनांक 31.01.2005 को प्रश्नगत भूमि का संपरिवर्तन करके पटवारी हल्का पीपलाज को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निदेर्शित किया गया।

प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजों की ऑडिट करने पर ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 02.03.2006 के आधार पर उक्त प्रकरण को कमी मालियत का आक्षेप गठित किया गया,जिसके आधार पर उसकी मालियत रू. 3,09,250/- के स्थान पर रू. 10,76,803/-आंकी गई। उक्त ऑडिट आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक मसूदा ने कमी मुद्रांक कर रू. 69,134/- व पंजीयन शुल्क रू. 7673/-जमा कराने हेतु पक्षकारों को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में उक्त कमी मुद्रांक कर रू. 69,134/- व पंजीयन शुल्क रू. 7673/-जमा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 51(4) के अन्तर्गत रेफरेन्स उप पंजीयक द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) ने साईक्लोस्टाईल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रेफरेन्स में अंकित मालियत को सही मानते हुए मुद्रांक कर रू. 69,134/- पंजीयन शुल्क रू. 7673/- शास्ति रू. 103/-कुल रू. 76,910/- प्रार्थीया से वसूल करने का निर्णय दिनांक 26.12.2006 पारित किया है। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रार्थीया निगराकार द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक का कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थीया की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन है कि प्रार्थी निगराकारों द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश के विरूद्व निगरानी अत्याधिक विलम्ब से पेश की गई है तथा इस विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में प्रत्येक दिवस में विलम्ब का उचित कारण नहीं बतलाया गया है। इसलिये निगरानी पेश करने का विलम्ब क्षमा योग्य नहीं होने से प्रार्थी निगराकारों की निगरानी मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की किसी भी तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थीयों की निगरानी अस्पष्ट एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी निगराकारें द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 26.12.2006 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं सतोषप्रद मानते

हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर सभी निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं।

प्रार्थीगण निगराकार के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय करने के पश्चात उप पंजीयक द्वारा मालियत निर्धारित की गई थी और उसके आधार पर ही मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विक्रय पत्र उप पंजीयक ने पंजीबद्ध करके उनको लौटाया था। उनका कथन है कि उप पंजीयक द्वारा ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रू. 10,76,803/–निर्धारित कर, उस पर कमी मुद्रांक कर मुद्रांक कर रू. 69,134/– पंजीयन शुल्क रू. 7673/– वसूल करने का रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष पेश किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने आक्षेपित प्रकरण पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है, केवल मात्र साइक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आदेश पारित किया है जिसे न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। उक्त कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के Civil Appeal No. Nil of 2010@S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15-4-2010 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स, राजस्थान कर बोर्ड द्वारा चिराग ह्यूमैर डेवलपमेन्ट सोसाइटी बनाम राजस्थान राज्य रिवीजन नम्बर 1638/अलवर/2013 निर्णय दिनांक 13.11.2014 (2015(1)आर आर टी 154) , बैक आफ बडौदरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिवीजन नम्बर 670/2011/डूँगरपुर निर्णय दिनांक 18.11.2015(2015(1)आर आर टी 157) में दिये गये न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उप पंजीयक के रेफरेन्स का समर्थन करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) वृत अजमेर के आदेश को बहाल रखने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान मनन किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 26.12.2006 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही साईक्लोस्टाइल पेपर पर यांत्रिक तरीके से बिना मस्तिष्क का उपयोग किये रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है,जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। कलक्टर (मुद्रांक) का दायित्व बनता था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर पूर्ण विवेचना करने के उपरान्त ही अपना निष्कर्ष देते, जिससे कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश/निर्णय के

विरूद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं । किन्तु हस्तगत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। कलक्टर (मुद्रांक) का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए न्याय निर्णयन करें। इसी प्रकार का मत प्रार्थी की ओर से उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के Civil Appeal No. Nil of 2010@S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15-4-2010 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स में पारित किया गया है,जिसका सारगर्भित अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में निगरानी स्वीकार करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 26.125.2006 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपदित मत की पूर्ण पालना करते हुए, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पुनः Self Speaking आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य